

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

-:: संशोधित आदेश ::-

क्रमांक / 1007 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2021

बलौदाबाजार, दिनांक 27 मई 2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 975 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2021 बलौदाबाजार दिनांक 22.05.2021 के माध्यम से बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश की निम्नानुसार कंडिका में आंशिक संशोधन किया जाता है :-

कंडिका 02. (i) -सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल तथा सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे।

कंडिका 03. -कंडिका 02 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 6.00 बजे तक (गुरुवार एवं गुमास्ता दिवस को छोड़कर) खुले रहेंगे।"

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



Handwritten signature of Sunil Kumar Jain

(सुनील कुमार जैन)


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
District Magistrate
बलौदाबाजार-भाटापारा (C.G.)
Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

बलौदाबाजार, दिनांक 27 मई 2021

पृ. क्रमांक / 1007 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2021
प्रतिलिपि:- A

1. अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. अति.जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार-भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र एवं सोशल मिडिया में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
11. जिला परिवहन अधिकारी, बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत आवागमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
12. तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, (समस्त) बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
15. समस्त कार्यालय प्रमुख.....जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16.समस्त आम जनता, जिला बलौदाबाजार द्वारा सहायक संचालक, जनसंपर्क, बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


 27.05
 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
 District Magistrate
 बलौदाबाजार-भाटापारा (R.G.)
 Baloda Bazar-Bhatapara (R.G.)